

कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के दिन ही भविष्य निधि और उपदान के भुगतान की योजना

1339. श्री अमर सिंह बी० राठवा : क्या संसदीय कार्य तथा अम मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बना रही है कि श्रमिक या कर्मचारी को भविष्य निधि और उपदान का भुगतान उसी दिन हो जाये जिस दिन वह सेवा निवृत्त होता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को ऐसा प्रस्ताव गुजरात और एक अन्य राज्य से मिला है और क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर भी दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । कर्मचारी भविष्य निधि योजना में यह व्यवस्था है कि आयुक्त तत्काल भुगतान करेगा । उपदान (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम 8 में यह व्यवस्था है कि नियोजक उपदान के भुगतान हेतु आवेदन-पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर-अन्दर दावा ग्राह्य पाये जाने की सूत्र में उसके भुगतान के लिए तारीख निश्चित करेगा जो आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख से तीसवें दिन से बाद की तारीख नहीं होगी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

3756 LS-3.

Invitation to P.M. to Visit China

1340. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the invitation sent by the Chinese Government for the visit of the Prime Minister and himself has been accepted; and

(b) if so, the expected time by which the visit to that country is to commence?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) Neither the Prime Minister nor Foreign Minister have received invitations for visiting China.

(b) In view of the above, the question does not arise.

Opening of Foreign Post Office in Kandla

1341. SHRI NATVERLAL B. PARMAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government propose to open a Foreign Post Office in Kandla where its need is greatly felt;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The traffic figures do not justify opening of such an office.

Use of Stabilising and Emulsifying Agents in Flavours

1342. SHRI KISHORE LAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the reply given on the 24th November, 1977, to Unstarred Question No. 1470 regarding the finalisation of the draft Rules 61-A and 61-B about